

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 497 सन 2020

अनवान :-

1. परसाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुखी पत्नी रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
2. सरस्वती पुत्री रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
3. कौशल्या पुत्री रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
4. कनीराम पुत्र रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
5. सरस्वती पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
6. तारावती पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक - 29/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 78/79 की कुल 6.1350हेक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 158/139 की कुल 5.8190हेक् रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता संख्या 465/453 की कुल 16.4560हेक् व रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता संख्या 452/443 की कुल 5.3130हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावताराम वल्द रावताराम वल्द गणपतराम के नाम से दर्ज है।

वादी का पडदादा रावताराम वल्द गणपतराम एवं उनकी पत्नी रामप्यारी का देहान्त हो चुका है जिनके एक पुत्र रामस्वरूप एवं दो पुत्रीया सरस्वती एवं तारावती प्रतिवादी संख्या 5 ,6 हुए जिनमें से पुत्र रामस्वरूप का देहान्त हो गया जिसके वारिस उसकी पुत्री मुखी प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र वादी परसाराम प्रतिवादी संख्या 4 कनीराम तथा पुत्रीया कौशल्या, सरस्वती प्रतिवादी संख्या 2 ,3 हुए हैं अर्थात् रावताराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो गणपतराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज रावताराम वल्द गणपतराम के नाम से

उपखण्डाधिकारी
नोहर

दर्ज है रावताराम एव उनकी पत्नि रामप्यारी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान में से एक पुत्र रामस्वरूप का भी देहान्त हो गया है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रावताराम की भूमि पाने के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र/भतिजों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 78/79 की कुल 6.1350हैक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 158/139 की कुल 5.8190हैक् रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 465/453 की कुल 16.4560हैक् व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 452/443 की कुल 5.3130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावताराम वल्द रावताराम वल्द गणपतराम के नाम से दर्ज है।

वादी का पडदादा रावताराम वल्द गणपतराम एवं उनकी पत्नी रामप्यारी का देहान्त हो चुका है जिनके एक पुत्र रामस्वरूप एवं दो पुत्रीया सरस्वती एवं तारावती प्रतिवादी संख्या 5 ,6 हुए जिनमें से पुत्र रामस्वरूप का देहान्त हो गया जिसके वारिस उसकी पुत्री मुखी प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र वादी परसाराम , प्रतिवादी संख्या 4 कनीराम तथा पुत्रीया कोशल्या, सरस्वती प्रतिवादी संख्या 2 ,3 हुए है अर्थात रावताराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1ता 6 है जो गणपतराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 78/79 की कुल 6.1350हैक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 158/139 की कुल 5.8190हैक् रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 465/453 की कुल 16.4560हैक् व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 452/443 की कुल 5.3130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावताराम वल्द रावताराम वल्द गणपतराम के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का पडदादा रावताराम वल्द गणपतराम एवं उनकी पत्नी रामप्यारी का देहान्त हो चुका है जिनके एक पुत्र रामस्वरूप एवं दो पुत्रीया सरस्वती एवं तारावती प्रतिवादी संख्या 5 ,6 हुए जिनमें से पुत्र रामस्वरूप का देहान्त हो गया जिसके वारिस उसकी पुत्री मुखी प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र वादी परसाराम , प्रतिवादी संख्या 4 कनीराम तथा पुत्रीया कोशल्या, सरस्वती प्रतिवादी संख्या 2 ,3 हुए है अर्थात रावताराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात रावताराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने पर उनके नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल दावा पेश कर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है-तो एतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 78/79 की कुल 6.1350हैक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 158/139 की कुल 5.8190हैक् रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 465/453 की कुल 16.4560हैक् व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 452/443 की कुल 5.3130हैक् भूमि जो रामस्वरूप के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रावताराम एवं रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमिलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ब्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाया दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. परसाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवारी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुखी पत्नी रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
2. सरस्वती पुत्री रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
3. कौशल्या पुत्री रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कनीराम पुत्र रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
5. सरस्वती पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
6. तारावती पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिधे तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 497 सन 2020 निर्णय दिनांक- 29/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज-की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 78/79 की कुल 6.1350हैक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 158/139 की कुल 5.8190हैक् रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 465/453 की कुल 16.4560हैक् व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 452/443 की कुल 5.3130हैक् भूमि जो रामस्वरूप के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रावताराम एवं रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगना 5000/- रु का स्टाप तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)